

**पूर्व मध्य रेल
(कार्मिक विभाग)**

कार्यालय आदेश सं०- 236/2024

महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर के पत्र सं-ECR/HRD/Rectt./Cultural Quota/2023-24 दिनांक 07.10.2024 के आलोक में सांस्कृतिक कोटा (Cultural Quota) के तहत अवर लिपिक ग्रेड पे ₹1900/- (लेवल-2) के पद पर चयनित तथा चिकित्सा श्रेणी जो उनके नाम के सामने अंकित है, में योग्य पाए जाने के उपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थी को अस्थाई रूप से अवर लिपिक, ग्रेड पे ₹1900/- (लेवल-2) के पद पर वेतन ₹19900/- (In 7th CPC) प्रतिमाह एवं समय-समय पर स्वीकार्य अन्य भत्तों के साथ पूर्व मध्य रेल, मुख्यालय, हाजीपुर के कार्मिक विभाग के अंतर्गत IR&W अनुभाग में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है तथा इनका लियन कार्मिक विभाग मुख्यालय/हाजीपुर में अनुरक्षित रहेगा :-

S N	Name of the Candidate (Sri)	Comm	Med. Cat.	Edu. Quali	D.O.B.	L.T.I./Signature of candidate	Passport Size
1.	Aameya Shankar Gangani	UR	B-1 & below	Inter	26.08.2003		

ये अस्थाई रूप से तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारी पर लागू होने वाली सभी नियमों एवं शर्तों से शासित होंगे। इनका रेल सेवा में बने रहना पुलिस द्वारा चरित्र जाँच रिपोर्ट अनुकूल होने पर निर्भर करेगा जिसके लिए बाद में कार्रवाई की जाएगी। ये अभ्यर्थी नई पेंशन योजना के तहत शासित होंगे।

नोट :-

1. इन्हें 05 (पांच) वर्ष की रेल सेवा करना अनिवार्य होगा। यदि पांच वर्ष से पहले रेल सेवा छोड़ते हैं तो शेष अवधि का वेतन एवं भत्ता का 12 % ब्याज की दर से राशी का भुगतान करना होगा। पांच वर्ष की सेवा से पूर्व निजी अनुरोध पर अन्य रेलवे/मंडल में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. इन्हें 02(दो) वर्ष के अन्दर टंकण जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा अन्यथा अवर लिपिक पीबी-1, ग्रेड पे ₹1900/- (लेवल-2) के पद से हटा दिया जायेगा।
3. इन्हें आवश्यकतानुसार प्रादेशिक सेना के लिए जो अवधि निर्धारित की जाएगी सैन्य सेवा करनी होगी।
4. नियुक्ति के समय प्रस्तुत शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज/सूचना गलत पाए जाने पर किसी भी समय इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(रमेश कुमार)

सकाधि/समन्वय

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

दिनांक-08.10.2024

सं०:- ECR-HQ0PERS(RECT)/32/2021 (Comp No.124795)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर।
2. प्रमुकाधि के सचिव- प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. मुकाधि/प्रशासन के निजी सचिव-II, मुकाधि/प्रशासन महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. उपमुकाधि/आईआरडब्लू एवं एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर।
5. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर-नेट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. सकाधि/बिल, आईआरडब्लू एवं ईएसएम/पूमरे/हाजीपुर।
7. शाखा सचिव/ईसीआरकेयू/एससी एसटी एसओ/पूमरे/हाजीपुर।
8. संबंधित कर्मचारी।



कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर